झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में,

एक्विटल अपील (डी0 बी0) संख्या–01 / 2016

के साथ

आई0 ए0 संख्या–233 / 2016

के साथ

आई0 ए0 संख्या–234 / 2016

झारखण्ड राज्य

द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा ..... अपीलार्थी।

बनाम्

1. केरू @ सुबाल घोरोई

2. आरती घोरोई ..... प्रतिवादीगण।

कोरम : माननीय श्री न्यायाधीश एच0 सी0 मिश्रा

: माननीय श्री न्यायाधीश, आनंदा सेन

अपीलार्थी राज्य के लिए : श्री वंदना भारती, ए0 पी0 पी0।

अभियुक्त उत्तरदाताओं के लिए : श्री कौशिक सरखेल, अधिवक्ता।

05 / 09.08.2017 अपीलकर्त्ता राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्त उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

अपीलार्थी राज्य ने इस अपील को एस0 टी0 संख्या–20 / 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा द्वारा पारित दिनांक 15.06.2015 के फैसले के खिलाफ दाखिल किया है, जिसके तहत, उत्तरदाताओं, जिन्होनें भारतीय दण्ड संहिता के धाराएँ 306 / 34 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना किया था, को परीक्षण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया है।

वर्तमान अपील 135 दिनों की देरी से दाखिल किया गया है, और आई0 ए0 संख्या–234 वर्ष 2016 को उपरोक्त देरी को माफ करने के लिए दाखिल किया गया है, और आई0 ए0 संख्या–233 वर्ष 2016 को दोषमुक्त के निर्णय के विरूद्ध अपील करने के छूट के लिए दाखिल किया गया है।

आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होता है कि सूचक की शादीशुदा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और आरोप है कि उसने आरोपी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा एकतरफा प्यार के कारण आत्महत्या की थी, और मृतक ने 20,000/– रूपये की माँग भी की थी, जो उसे कथित रूप से दिया गया था, जिसके लिए, कथित तौर पर, मृतक और आरोपी उत्तरदाताओं के बीच झगड़ा हुआ था, जो पति और पत्नी हैं।

यह भी आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होता है कि मृतक एक विवाहित महिला थी जिसके दो बच्चे थे और शादी 15–16 साल पहले हुई थी। यह भी प्रतीत होता है कि कुछ प्रेम पत्रों की बरामदगी हुई थी, जो आपत्ति के साथ साबित हुए थे, लेकिन यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं प्रतीत होता है कि पत्र आरोपी–प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा लिखे गए थे।

मृतक के बच्चों के साक्ष्य, जो कि आक्षेपित निर्णय में चर्चा की गई है, सबूत के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं। मृतक के बेटे ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आरोपी व्यक्तियों ने 20,000/– रूपये की मांग की थी और उसकी माँ ने आरोपी व्यक्तियों को बताया था कि पैसा खर्च हो गया था और वह बाद में पैसे लौटा देगी। मृतक की बेटी ने स्वीकार किया था कि आरोपी ने उसकी माँ से 20,000/– रूपये की मांग की थी जो उसकी माँ को ऋण के रूप में दिया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आरोपी उत्तरदाताओं द्वारा ऋण के रूप में मृतक को 20,000/– रूपये का कुछ अग्रिम दिया था, और यदि आरोपी उत्तरदाताओं ने मृतक से अपने पैसे वापस करने की मांग की, जिसने आत्महत्या की, तो कल्पना के किसी भी खंड द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी उत्तरदाताओं ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था।

रिकॉर्ड पर उपस्थित सबूतों के आधार पर नीचे की अदालत ने दोनों आरोपी उत्तरदाताओं को आरोप से बरी कर दिया है। हमें दोषमुक्त के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिली है जिससे यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सके।

इस प्रकार, हमें दोषमुक्त के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील करने हेतु छूट देने का कोई वैध कारण नहीं मिलता है, और हमें दोषमुक्त के निर्णय के खिलाफ वर्तमान अपील दायर करने में 135 दिनों की देरी को माफ करने के लिए कोई वैध कारण नहीं मिलता है। तद्नुसार, दोनों वार्ताकार आवेदन खारिज हो गए।

नतीजतन, बरी होने की अपील भी खारिज हो जाती है, जिसे सीमित रूप से रोक दिया जाता है।

ह0

(एच0 सी0 मिश्र, न्याया0)

ह0

(आनंदा सेन, न्याया0)